म0प्र0 शासन

वित्त विभाग

क्र./डी.टी.ए./IFMIS/2015/455 भोपाल, दिनांक 20.9.2015

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव,

समस्त प्रमुख सचिव,

समस्त सचिव,

समस्त विभागाध्यक्ष

संभागीय कमिश्नर, भोपाल संभाग

जिला कलेक्टर, भोपाल

समस्त जिला कोषालय अधिकारी (भोपाल जिला)

विषय:-एकीकृत वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (IFMIS) के प्रारम्भ होने बाबत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि म0प्र0 शासन वित्त विभाग के निर्देशन में संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एकीकृत वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (आई.एफ.एम.आई.एस.) विकसित की गई है, जो कि कोषालयों में वर्तमान में प्रचलित विभागीय परियोजना "सी-एस.एफ. एम.एस." का ही विस्तृत स्वरूप लिये अनेक नवीन सुविधाओं से युक्त है।

इस नवीन परियोजना में मूलत: तीन सब सिस्टम, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली(FMIS), मानव संसाधन प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (HRMIS) तथा पेंशन प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली(PMIS) है। उक्त सॉफ्टवेयर में समस्त विभागों की ऐसी समस्त गतिविधियॉ जो प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित करती है, को सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना में कर्मचारियों के पूर्ण सेवाकाल का सेवा रिकार्ड तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशनर के रूप में पूरा रिकार्ड कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। प्रतिवर्ष तैयार होने वाली योजना एवं बजट की कार्यवाही भी उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही की जायेगी।

वर्ष 2016-17 की योजना एवं बजट की प्रक्रिया का प्रारंभ (IFMIS) सॉफ्टवेयर से किया जायेगा। इस हेतु इस वर्ष मुद्रा सॉफ्टवेयर का वितरण नहीं किया गया है। प्लान एवं बजट प्रक्रियाओं से संबंधित समस्त विभागीय कार्यालयों एवं योजना अधिकारियों को प्रस्तुतीकरण दिया जाकर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा परियोजना में सॉफ्टवेयर का उपयोग करने हेतु लॉगिन-पासवर्ड वितरित किये जा चुके है। आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा इस हेतु पृथक से निर्देश जारी किए गए है।

उल्लेखनीय है कि IFMIS में सभी के रोल निर्धारित है एवं प्रत्येक यूजर द्वारा, उसे प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के अनुसार, स्वीकृति उनके द्वारा स्वयं के लॉगिन से/बायोमैट्रिक डिवाइस से प्रदाय की जाएगी। अतः प्रत्येक स्तर के सभी अधिकारियों को IFMIS का उपयोग करने की प्रक्रिया की जानकारी लेने की सलाह दी जाती है, ताकि उन्हें कार्य संपादन में कठिनाई न हो।

इस तारतम्य में दिनांक 24.09.2015 को प्रातः 11:00 बजे आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली परियोजना के अंतर्गत योजना एवं बजट प्रक्रियाओं का शुभारम्भ माननीय वित्त मंत्रीजी म.प्र. शासन के द्वारा किया जायेगा, तथा साफ्टवेयर के संबंध में जानकारी प्रदाय की जावेगी।

कृपया उक्त कार्यक्रम में उपस्थित होने का अनुरोध है।

अपर मुख्य सचिव
वित्त विभाग

पृ. क्र./डी.टी.ए./IFMIS/2015/456 भोपाल, दिनांक 20.9.2015

प्रतिलिपि: -

1) सचिव, राज्य योजना आयोग को सूचनार्थ।
2) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, संचालनालय कोष एवं लेखा को सूचनार्थ।
3) समस्त जिला कलेक्टर म.प्र. की ओर सूचनार्थ।

अपर मुख्य सचिव
वित्त विभाग